न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 61/18 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री तिलकराज पिता नागरमल महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमेन्द्रसिंह पिता रघुनाथसिंह राठौड निवासी राणावतों की सादडी तह. मावली।
2. श्री देवेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह राणावत निवासी गणेशनगर जावद कांकरोली तह. राजनगर जिला राजसमन्द।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय आपमें एक वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होकर उसमें प्रार्थी को निश्चित सफलता मिलेगी।
2. यह कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4717, 5797/4718 किता 2 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी व अनिलकुमार, सुनीलदत्त पिता नागरमल महाजन के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है तथा प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 एवं अन्य सहखातेदार उक्त वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है, मौके पर बंटवाडा किया हुआ नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज हाने से प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि को काश्त योग्य बनाने में एवं ऋण आदि लेने एवं अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने, विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 4 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर संयुक्त कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है और अभी तक उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवाडा भी नहीं हुआ है फिर भी विपक्षी सं. 1 प्रार्थी के अजनबी क्रेता है उक्त संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने की नियत से जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर जे.सी.बी. मशीन से नीवें खुदवा दी और अब निर्माण कराने पर उतारू हो रहे है तथा मना करने पर भी नहीं मान रहे है। जबकि विपक्षी सं. 1, 2 को संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि पर बिना बंटवाडा कराये किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि संयुक्त खाते की जमीन में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा, हिस्सा होता हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

5. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है लेकिन विपक्षी सं. 1, 2 उक्त कृषि भूमि के विशिष्ट भाग पर कब्जा करने की नियत से कारतामीर कराने पर आमादा हो रहे है और मना करने पर मरने मारने की धमकीया दे रहे है। जबकि विपक्षी सं. 1, 2 को उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना विधिक बंटवाडा कराये एवं बिना भू–परिवर्तन कराये विशिष्ट भाग पर किसी प्रकार का निर्माण कराने एवं नीवें खुदवाने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा होता है और किसी भी सहखातेदारों को उक्त खातेदारी की भूमि में से किसी विशेष भू भाग की भूमि पर निर्माण कराने का अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी सं. 1, 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हुं कि जब तक उक्त भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक उक्त भूमि के किसी विशेष भूभाग पर विपक्षी सं. 1, 2 किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, नीवें नही खुदावे, प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.05.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण सं. 1, 2 ने उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के विशेष भूभाग पर कब्जा करने की नियत से जे.सी.बी. मशीन से निवे खुदवाई और निर्माण कार्य कराने पर उतारू हुए और समझाने पर भी नहीं माने। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

Arhay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण की सामलाती कृषि भूमि है, जब तक विधिक रूप से बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक उसके किसी विशिष्ट हिस्से पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य न करे, न नीवें खोदे, न उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावे, प्रार्थी को संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

1. *प्रथम दृष्टया मामला*- हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षीगण दोनो ही खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाडे का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी व विपक्षीगण दोनो खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन*- प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षीगण दोनो खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*- चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

Akshay

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट टेक) मावली

Scanned with CamScanner

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित सम्पति हैं। विभाजन नही होने तक पत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। चूंकि वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर दिया है, एवं विभाजन नहीं होने तक यदि पक्षकरान को पावन्द नहीं किया जाता एव पक्षकारान भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर परिवर्तन कर देते है तो अनायास ही प्रकरण में पैचिदगिया उत्पन्न हो जावेगी, एवं पक्षकारो को समय पर न्याय भी नहीं मिल पायेगा। अतः प्रकरण में बंटवाडा होने तक उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4717, 5797/4718 किता 2 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ★ (फास्ट ट्रेक) मावली ★ सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner